न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार

राजस्व अपील संख्या :– 06/2018

अपीलाण्टस	बनाम	रेस्पोडेंट्स
1. श्रीमति जसकीदेवी पुत्री सुखराम पत्नी आसूराम जाति विश्नोई निवासी जालेली फौजदारा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 2. श्रीमति समु पुत्री सुखराम पत्नी मंगलाराम, जाति विश्नोई निवासी रावर की ढाणी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 3. श्रीमति ढगलीदेवी पुत्री सुखराम पत्नी प्रहलादराम, जाति विश्नोई निवासी खेजड़ली कलॉ तहसील लूणी, जिला जोधपुर		1. पोकरराम पुत्र सुखराम 2. कालूराम पुत्र भलाराम 3. सुरजाराम पुत्र भलाराम 4. श्रीमति मोहनी पत्नी भलाराम 5. श्रीमति परमेश्वरी पुत्री भलाराम पत्नी जेताराम जातियान विश्नोई निवासीगण लाम्बा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 6. श्रीमति सतकी पुत्री भलाराम पत्नी जोराराम जाति विश्नोई, निवासी तिलवासनी, तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर 7. श्रीमति कमली पुत्री भलाराम पत्नी महीराम जाति विश्नोई, निवासी लाम्बा, तहसील बिलाड़ा 8. रामलाल पुत्र सुखराम 9. किशनाराम पुत्र सुखराम 10. बुद्धाराम पुत्र भागीरथ 11. पूनाराम पुत्र भागीरथ 12. सोवनी पत्नी भागीरथ 13. सोमा पुत्री भागीरथ पत्नी मांगीलाल 14. निरमा पुत्री भागीरथ पत्नी स्वरूपराम जातियान विश्नोई निवासीगण लाम्बा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 15. सरपंच ग्राम पंचायत लाम्बा, तहसील बिलाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 1004 दिनांक 15.07.1998 द्वारा ग्राम पंचायत लाम्बा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा (जोधपुर)

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

उपस्थित :— अपीलाण्ट्स की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 8, 10 से 14 की ओर से श्री सी.आर.
चौधरी एडवोकेट, रेस्पोडेण्ट संख्या 2,3,4,5,6,7,9,15 अनुपस्थित

निर्णय दिनांक :— 09.7.2018.

अपील के तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 1862 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा कुल खसरा 1 कुल रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा आयी हुयी है। उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि सुखराम, कानाराम पिसरान समेलराम जाति विश्नोई निवासी लाम्बा तहसील बिलाड़ा की 1/2 हिस्से की थी। जिसमें सुखराम का 1/4 हिस्सा सयुक्त खातेदारी का था। सयुक्त खातेदार सुखराम जी का देहान्त सन् 1997 में हो गया। देहान्त के समय सुखराम जी के उत्तराधिकारी उनकी तीन पुत्रिया व पॉच पुत्र व एक पत्नी थी। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा उत्तराधिकारी का म्यूटेशन संख्या 1004 भरते समय केवल सुखराम के पुत्र पोकरराम, भलाराम, रामलाल, किशनाराम तथा भागीरथ के उतराधिकारी उसके दो पुत्र पूनाराम, बुद्धाराम एवं उसकी पत्नी सोवनी का तथा जैती पत्नी सुखराम का नाम ही लिख दिया एवं ग्राम पंचायत लाम्बा द्वारा बीना किसी प्रकार की जॉच किये वह म्यूटेशन नियम विरूद्ध स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट श्रीमति जसकी देवी, ढगलीदेवी, समुदेवी सुखराम जी की पुत्रिया होने से म्यूटेशन संख्या 1004 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की।

अपील के साथ अपीलाण्ट की ओर से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस ने पटवारी हल्का लाम्बा से अपने पिता सुखराम की भूमि की जमाबन्दी की नकल चाही तो पटवारी हल्का ने वताया कि उपरोक्त भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 14 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तव अपीलान्टस ने सुखराम के देहान्त पर उतराधिकारी के आधार पर स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 1004 की नकल हल्का पटवारी से दिनांक 06.06.2018 को प्राप्त की गयी। पटवारी हल्का से अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 1004 को दिनांक 06.06.2018 की नकल मिलने पर अपीलाधीन म्यूटेशन की जानकारी हुई।

अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 1004 को निरस्त किया जाकर अपील अन्दर म्याद सुमार कर अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।

[signature]

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी, रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 8, 10 से 14 की ओर से श्री सी.आर. चौधरी एड़वोकेट ने वकालतनामा पेश किया, रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. भेजे गये जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 के द्वारा नोटिस को लेने से इन्कार किया गया है, जिसकी तामिल मानी जाकर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गयी। इसी प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 9 को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. नोटिस भेजा गया जो रजिस्टर्ड नोटिस उसको स्वयं को प्राप्त हुआ जिसकी प्राप्ति स्वीकृति रसीद व डाक रिपोर्ट शामिल मिसल है। फिर भी रेस्पोडेण्ट संख्या 9 बाद नोटिस तामिल उपस्थित नही होने पर उसके विरूद्ध अनुपस्थिति दर्ज की गयी। रेस्पोडेण्ट संख्या 15 सरपंच ग्राम पंचायत का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ उनकी ओर से उपस्थित नही होने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 8, 10 से 14 की ओर से धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया गया कि पद संख्या 1 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1862 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा आयी हुयी है।जिसकी खातेदारी भूमि सुखराम पुत्र समेलराम जाति विश्नोई निवासी लाम्बा, तहसील बिलाड़ा की थी। खातेदार सुखराम जी का देहान्त सन् 1997 में हो गया। उनके पीछे उतराधिकारी उनके पॉच पुत्र पोकरराम, भलाराम, रामलाल, किशनाराम, भागीरथ तथा तीन पुत्रिया जसकीदेवी, ढगलीदेवी, समुदेवी तथा एक पत्नी जैती है। जब सुखराम पुत्र समेलराम जी का देहान्त हुआ तब उनका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1004 स्वीकृत किया गया, उसमें हल्का पटवारी द्वारा उतराधिकारी का म्यूटेशन भरते समय उनके पॉच पुत्र तथा पत्नी का नाम ही दर्ज कर दिया गया जो म्यूटेशन विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया है। पद संख्या 2 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि उपरोक्त खातेदारी भूमि सुखराम पुत्र समेलराम जी की थी। सुखराम जी के उतराधिकारी अपीलान्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 12 है, इनके अलावा कोई वारिसान नही है। अपीलान्ट्स का सुखराम जी की खातेदारी भूमि में नाम दर्ज किया जाता है तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 8, 10 से 14 को कोई आपति नही है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त भूमि में अपीलाण्ट्स का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिलाड़ा (जोधपुर)

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलाण्टस की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया गया कि अपीलाण्ट्स मृतक सुखराम की जायन्दा पुत्रिया है तथा उनका सुखराम की भूमि में जन्म से अधिकार है, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की प्रथम सूची में वर्णित उतराधिकार की सूची के अनुसार पुत्रिया मृतक की प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है, अपीलाण्टस की अपील स्वीकार कर म्यूटेशन संख्या 1004 को निरस्त फरमाया जावे, रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 8, 10 से 14 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि सुखराम की भूमि में अपीलाण्ट्स का नाम इन्द्राज किया जाता है तो उनको कोई आपति नही है।

अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पूर्व धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र की सुनवाई किया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट्स की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब सुखराम का देहान्त हुआ तब सुखराम की लडकिया मौजूद थी तथा उनका सुखराम की भूमि में उनका हक हिस्सा है। ग्राम पंचायत द्वारा जो म्यूटेशन स्वीकृत किया गया, म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व विधिक वारिसानों को नोटिस नही दिया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 8, 10 से 14 ने धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। मैने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अध्ययनोपरान्त पाया कि उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व किसी भी प्रकार के विधिक वारिसानों को कोई नोटिस जारी नही किया गया है। इस कारण ऐसा नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील को डिलेकंडोन किया जाता है।

अपील का गुणावगुण का प्रश्न है, यह विवादित नही है कि मृतक सुखराम के अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 14 वारिसान है एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की प्रथम सूची में वर्णित सूची में वारिस है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व किसी प्रकार की जॉच वारिसान के संबंध में नही की गयी है। ग्राम पंचायत लाम्बा द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 का अवलोकन किये बीना केवल मृतक सुखराम के पुत्र पोकरराम,

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

भलाराम, रामलाल, किशनाराम तथा उसके मृतक पुत्र भागीरथ के वारिसान पुनाराम, बुद्धाराम, सोवनी तथा सुखराम की पत्नी जैती के नाम से म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है जो बिल्कुल कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध म्यूटेशन स्वीकृत किया है। इस कारण ग्राम पंचायत लाम्बा द्वारा स्वीकृत किया गया म्यूटेशन संख्या 1004 बिल्कुल ही गलत रूप से बिना कोई कानूनी प्रावधानों की पालना के स्वीकृत किया गया है। बिना प्रावधान व नियम के पारित किये नामान्तरकरण को प्रभाव में रखे जाने का कोई औचित्य नही है। सुखराम के जायन्दा पुत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 8 तथा उसके पोते बुधाराम, पुनाराम तथा पत्नी सोवनी द्वारा यह एडमिट किया है कि सुखराम जी की तीन पुत्रिया अपीलाण्ट्स जसकीदेवी, समु, श्रीमति ढगलीदेवी है एवं उनका जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में कथन रहा है कि अपीलाण्ट्स सुखराम जी की भूमि में नाम दर्ज कराने की अधिकारीगण है। यह भी एडमिट किया कि राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट्स का नाम इन्द्राज किया जाता है तो रेस्पोडेण्ट्स को कोई आपति नही है। अतः अपील स्वीकार कर म्यूटेशन संख्या 1004 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1862 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा में मृतक सुखराम के विधिक वारिसानों उनके तीन पुत्रिया जसकीदेवी, समु, ढगलीदेवी तथा पोकरराम पुत्र सुखराम, कालूराम, सूरजाराम पिसरान भलाराम, श्रीमति मोहनी पत्नी भलाराम, परमेश्वरी, सतकी, कमली पुत्रिया भलाराम, रामलाल, किशनाराम पिसरान सुखराम, बुधाराम, पुनाराम पिसरान भागीरथ, सोवनी पत्नी भागीरथ के नाम म्यूटेशन स्वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये जाते है एवं नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावे। आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

09.7.2019
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09.7.2019 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

09.7.2019
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner